

उत्तर प्रदेश शासन

उच्च शिक्षा अनुभाग-1  
संख्या- 03/242/2015 /सत्तर-1-2015-20(13)/2006

लखनऊ: दिनांक: 24 मार्च, 2015

कार्यालय-जाप

कार्यालय-जाप संख्या-1004/सत्तर-1-2013-20(13)/2006 दिनांक 14-8-2013 द्वारा मिर्जा क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में निर्यात शासनादेश संख्या-154/सत्तर-1-2008-20(13)/2006 दिनांक 06-2-2008 को संशोधित करते हुए प्रस्तर-2.9 के उप प्रस्तर (2) में निम्न प्रावधान किया गया:-

"2.9(2) ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 100 एकड़ तथा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत न्यूनतम 40 एकड़ की परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो।"

2- सम्बन्ध विचारोपरान्त उक्त कार्यालय-जाप संख्या-1004/सत्तर-1-2013-20(13)/2006 दिनांक 14-8-2013 के प्रस्तर-2.9 के उप प्रस्तर (2) में निम्नवत् प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

"2.9(2) नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत एवं मेट्रोपोलिटन एरिया, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा अधिसूचित विकास प्राधिकरण तथा हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र और औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अधिसूचित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रों में न्यूनतम 40 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि तथा उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर न्यूनतम 100 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का स्वामित्व हो"

3- उक्त कार्यालय-जाप संख्या-1004/सत्तर-1-2013-20(13)/2006 दिनांक 14-8-2013 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

अतिल गंगे

सचिव।

03/242/2015

संख्या-3433/सत्तर-1-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
- 2- प्रमुख सचिव, श्री कुलाधिपति, राजभवन, 3090।
- 3- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 4- प्रमुख सचिव, न्याय, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 (भारत)।
- 6- सचिव, एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज, फिरोजाबाद कोर्टला मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 7- सदस्य सचिव, बार कौंसिल आफ इण्डिया, 2। राज जेवैन्स, उर्दूपर मार्ग, नई दिल्ली-110002
- 8- रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 9- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपोत, लखनऊ।
- 10- कुलपति, जगन्नाथ राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 11- निदेशक, उच्च शिक्षा, 3090 इलाहाबाद।
- 12- अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इन्दिरा भवन, लखनऊ को इस निदेश के साथ प्रेषित कि इस शासनादेश को उच्च शिक्षा की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
- 13- मिर्जा सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 14- जगन्नाथ अधिकारी/अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

अतिल गंगे

(बी० बी० सिंह)

विशेष सचिव।